अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

234/2021/225 गोकुल V/S गोपी वगै०

2021/234 R- 4 से 10, 13 से 15 अनु.

श्रीकान्त पाराशर हनुमानप्रसाद, पैरवीकारान पालीवाल ...

गोकल बनाम गोपी वगैरह

15.6.22

पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 03 ने दिनांक 28.03.2022 को प्रार्थना पत्र बाबत् अपील सारहीन होने बाबत् पेश किया, जो शामिल पत्रावली हो। अभिभापक रेस्पोडेन्टस ने प्रार्थना पत्र की बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू के समक्ष विचाराधीन वाद संख्या 221/2014 बउनवानी गोपी बनाम गोकुल वगैरह का निस्तारण दिनांक 02.03.2022 को हो चुका है, जिसकी प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न की गई है। चूँकि यह अपील धारा 225 राज.काश्तकारी अधिनियम की है, जो उक्त वाद के निस्तारण हो जाने से सारहीन हो चुकी है इसलिए अपील को सारहीन हो जाने से खारिज करने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू के समक्ष मूल राजस्व वाद का निस्तारण हो चुका है। चूँकि यह अपील धारा 225 राज.काश्तकारी अधिनियम की है जो सारहीन हो चुकी है इसलिए अपील को सारहीन होने से खारिज करना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर